


02.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही कि जा रही है वादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी 20.11.2024 को नोट करवाय गया था। वादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नही आए। वादी व अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

